4979 Godown 3rd Showroom Regd

विक्रय-पत्र

विक्रय पत्र मुब0 190000/-रूपये स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत 230000/-रूपये विक्रय भूमिका क्षेत्रफल 1302 वर्गफुट यानी 121 वर्गमीटर सर्किल दर सर्किल रेट के पृष्ठ 9 वार्ड नं0 18 के क्रमांक 7 के अनुसार 1900/-रूपये प्रति वर्गमीटर आवास एवं विकास शुल्क के अन्तर्गत है। स्टाम्प शुल्क 23000/-रूपये। स्थित शारदा नगर कालौनी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है।

मै कि श्री मति सरला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी केयर ऑफ बी-13 राजनगर कालौनी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की हूँ।

सरला देवी

Singh Verma
Advocate
Haridwar

विदित हो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी हैं जो इस समय हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तान्तरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि किसी महकमें, बैंक, सोसायटी, कम्पनी आदि या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति के विक्रय व हस्तान्तरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से समर्थ है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में निम्नलिखित सम्पत्ति के बदले मुबलिग 190000/- एक लाख नब्बे हजार रूपये मे हाथ श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह निवासी 57 आर्यनगर ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार (क्रेता)

के विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है। मूल्यराशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है, तत्पश्चात इनके कोई मूल्यराशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही, और न ही भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी व वाकई मौके पर करा दिया है। और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है, अब प्रतिज्ञ वचन देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार स्वामित्व सहित करके लाभ हर प्रकार से प्राप्त करें, हर प्रकार से अपना भोग व प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करें, अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारियों को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी के वाद-विवाद करने पर उक्त सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश, कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जावे तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या उसका कोई अंश, मूल्यराशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात-खास या जायदाद से वसूल कर लेवे, इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को कोई उजर नहीं होगा। नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारियों का जो कि बवहये कानून एक प्रतिज्ञ पर आयद होती है। का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेवार होगा व रहेगा।

बिवरण सम्पत्तिः— विदित हो कि एक भूमिखण्ड जिसकी पैमायश पूरब 44-4"

सरला देवी

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2003-04

04AA 175477

उप कोषाधिकार हरिद्वार 26 AUG 2005

चवालीस फुट चार इंच पश्चिम 42-6" बयालीस फुट छः इंच उत्तर 30 तीस फुट दक्षिण 30 तीस फुट और कुल क्षेत्रफल 1302 तेरहसौ दो वर्गफुट यानी 121 एकसौ इक्कीस वर्गमीटर होता है। जिसका खसरा नम्बर 2442/1 चौबीस सौ बयालीस बटा एक है। जो स्थित शारदानगर कालौनी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार अन्दर सीमा नगर पालिका समिति हरिद्वार है।

ह०-------

सरला देवी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.10000 — 10000 रु. — दस हजार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2003-04

04AA 175478

उप कोषागार हरिद्वार
10 AUG 2003
उप कोषागार हरिद्वार (उत्तरांचल)

जिसके पूरब में भूमि अन्य व्यक्ति पश्चिममें पलाट मुकेश जैन उत्तर मे रास्ता 15 फुट दक्षिण में दिवार व भूमि अन्य व्यक्ति है । जिसका विक्रेता मालिक स्वामी व अधिकारी है। जो विक्रेता ने द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 20-1-2000 ई0 को जिसको रजि0 बही नं0 1 जिल्द 1053/1204 के पृष्ठ 235/361/364 में द0 नं0

ह0----- सरला देवी

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

2003-04

उप कोषाधिकारी
हरिद्वार

हेतु

﴾4﴿

261 पर दिनांक 20-1-2000 ई0 को उप निबन्धक कार्यालय हरिद्वार हुई थी । श्री अशोक राज पुत्र श्री स्व0 हंसराज निवासी बडेरा नर्सिंग होम ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार से खरीद किया था । कब्जा मौके पर उक्त विक्रीत भूमिखण्ड पर क्रेता का करा दिया है वह उसमें अपने लाभ के लिये कोई भी

ह0---सरला देवी

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

हरिद्वार

14 AUG 200

§6§

रजिस्टरी के कुछ शेष नही रहेगा ।

अत: यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

फोटो का प्रमाणितकरण :- श्री पन्नासिंह वर्मा एडवोकेट हरिद्वार ने किया ।

तहरीर तारीख :- 22-8-2003ई0

ह0 सरला देवी

सा0

सा0

टाइपकर्ता

ड्राफ्टडबाई

Panal Singh Verma 22-8-2003

Advocate

Tahsil Haridwar

4

262 दिनांक 20-8-03
नाम शा० न० .... कामत 100
निवासी 260
[illegible] पुरोहित स्टाम्प विक्रेता, तहसील हरिद्वार

[illegible] 1360 [illegible] 380
[illegible] 4979
[illegible] 1 जिल्द 1454 के पृष्ठ 329/332
[illegible] दिनांक 24/8/03 [illegible]

रजिस्ट्रार हरिद्वार जिला हरिद्वार • उत्तरांचल •
सत्यमेव जयते